JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक-BRLPS/Project/IBCB/92/08/1769 दिनांक - 24/09/2020

कार्यालय आदेश: फेडरेशनों का सशक्तीकरण

फेडरेशन एवं परियोजना की गतिविधियों को सशक्त एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं:

वैधानिक मानदंड के तहत फेडरेशन प्रतिवर्ष वार्षिक सांविधिक लेखा-परीक्षा (Statuary Audit), वार्षिक आम सभा, विशेष आम सभा, रिटर्न फाइलिंग आदि गतिविधियाँ 30 सितम्बर तक पूर्ण करेंगे एवं इसकी पूर्व सूचना प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को देंगेI गतिविधियाँ पूर्ण होने के पश्चात् फेडरेशन सभी प्रतिवेदनों की एक प्रति प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा करेंगेI फेडरेशन 31 अक्टूबर 2020 तक अपने सभी "C" श्रेणी के समूहों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करेंगे I इस कार्य के लिए फेडरेशन परियोजना के सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) का सहयोग ले सकते हैंI

समूह RF/ICF/Bank loan प्राप्त करने के 6 माह पश्चात् जीविका मित्र (CM) के मानदेय में योगदान शुरू करेंगे I फेडरेशन से समावेशित किए गए यदि किसी समूह को RF/ICF/Bank loan प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह समूह प्रतिमाह 10/- रुपया योगदान करेगा I समूह, ग्राम संगठन एवं फेडरेशन का समुदाय-आधारित कैडरों के मानदेय एवं स्वशासन प्रबंध में अंशदान इस प्रकार होगा:

1. CM मानदेय मैट्रिक्स

CM मानदेय में, समूह और ग्राम संगठन के अंशदान निम्नानुसार होंगे: -

क्र. सं.	समय अवधि	प्रति समूह प्रति माह योगदान राशि (रु. में)	प्रति ग्राम संगठन प्रति माह योगदान राशि (रु. में)
1	RF/ICF/Bank loan प्राप्त करने वाले समूह, (0-6) माह के दौरान	0	0
2	RF/ICF/Bank loan प्राप्त करने वाले समूह, (7-24) माह के दौरान	50/-	50/-मात्र प्रति CM

Scanned with CamScanner

3	RF/ICF/Bank loan प्राप्त करने वाले समूह, (25-36) माह के दौरान	100/-	50/-मात्र प्रति CM
4	RF/ICF/Bank loan प्राप्त करने वाले समूह, (37-48) माह के दौरान	150/-	50/-मात्र प्रति CM
5	RF/ICF/Bank loan प्राप्त करने वाले समूह, 48 माह के बाद	250/-	50/-मात्र प्रति CM

- अंशदान विषयक अन्य प्रावधान जीविका मित्र (CM) मार्गदर्शिका के अनुसार होंगे।
- ग्राम संगठन, CM मानदेय में योगदान करेंगे, यदि 50% या अधिक सदस्य समूहों ने ICF प्राप्त कर लिये हों और ग्राम संगठन में ऋण वापसी शुरू कर दी हो। अन्यथा, ग्राम संगठन के हिस्से की योगदान राशि का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

2. ग्राम संगठन लेखापाल मानदेय मैट्रिक्स

ग्राम संगठन-लेखापाल मानदेय में ग्राम संगठन और फेडरेशन के अंशदान निम्नानुसार होंगे:-

क्र. सं.	अवधि	प्रति ग्राम संगठन प्रति माह योगदान राशि (रु. में)	प्रति फेडरेशन प्रति माह योगदान राशि (रु. में)
1	(0-12) माह का ग्राम संगठन	100/-	0
2	(13-24) माह का ग्राम संगठन	200/-	500/-
3	(25-36) माह का ग्राम संगठन	300/-	750/-
4	(37-48) माह का ग्राम संगठन	400/-	1000/-
5	49 माह एवं इससेमाह अधिक का ग्राम संगठन	500/-	1000/-

- मानदेय भुगतान विषयक अंशदान के अन्य प्रावधान ग्राम संगठन लेखापाल मार्गदर्शिका के अनुसार होंगे।
- ग्राम संगठन, ग्राम संगठन-लेखापाल के मानदेय में अंशदान करेंगे, यदि 50% या अधिक सदस्य समूहों ने ICF राशि प्राप्त कर ली है और ग्राम संगठन में ऋण वापसी शुरू कर दी हो।

Scanned with CamScanner

- इसी प्रकार, अगर 50% या अधिक योग्य सदस्य ग्राम संगठन, फेडरेशन में ICF ऋण वापसी शुरू करते हैं तो फेडरेशन, ग्राम संगठन-लेखापाल के मानदेय में योगदान देना शुरू कर देगा।
- यदि 50% सदस्य ग्राम संगठनों को ICF ऋण राशि JEEViKA/WDC से प्राप्त नहीं हुआ है, तो ग्राम संगठन-लेखापाल के मानदेय में फेडरेशन के हिस्से का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

3. **अन्य कैडर का मानदेय एवं भुगतान**

यदि फेडरेशन के 50% या अधिक सदस्य ग्राम संगठनों ने ICF (JEEViKA/WDC से) प्राप्त कर लिया है और मानदंड के अनुसार फेडरेशन में ऋण वापसी शुरू कर दी है तो:

- संकुल संघ-लेखापाल के मानदेय का 100% यानी कुल भुगतान फेडरेशन करेगा।
- **क्लस्टर फेसिलिटेटर** के मानदेय का भुगतान जीविका द्वारा निर्मित मार्गदर्शिका (पॉलिसी) के अनुसार होगा I
- अगले आदेश तक फेडरेशन, FDE (Federation Development Executive) के मानदेय में 50% मानदेय का अंशदान करेगा और शेष 50% मानदेय का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा।
- फेडरेशन के **अध्यक्ष का यातायात खर्च** और **प्रशासनिक खर्च** का भुगतान फेडरेशन करेगा।

यदि फेडरेशन के 50% या अधिक योग्य सदस्य ग्राम संगठनों, को ICF राशि प्राप्त नहीं हुई है और फेडरेशन में ऋण वापसी शुरू नहीं हुई है, तो सभी प्रकार का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा। फेडरेशन WDC से प्राप्त ICF को ICF राशि के मानकों का अनुसार नियमित आवर्तन (रोटेशन) करेगा और जीविका की पॉलिसी के अनुसार कैडर भुगतान और फेडरेशन के अन्य प्रशासनिक खर्चों में योगदान करेगा।

उपर्युक्त प्रावधान किस तिथि से लागू होगा, यह निर्णय जीविका प्रबंधन द्वारा लिया जाएगा और तदनुसार सूचना दी जाएगी I इस बीच, समूह कैडर भुगतान में 50/- रुपया प्रति माह योगदान करेगा (यदि समूहों को RF/ICF की राशि जीविका या WDC से प्राप्त है अथवा उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हो चुका है) I

4. **अन्य प्रावधान**

- फेडरेशन, किसी नए प्रशिक्षण समन्वयक/मुख्य कार्यपालक की बहाली नहीं करेगा और वर्तमान में अगर कोई हो तो 30 अक्टूबर 2020 तक किसी भी वर्तमान पद जैसे क्लस्टर फैसिलिटेटर, ग्राम संगठन लेखापाल के रूप में उनका पदस्थापन सुनिश्चित करेगा। यह जीविका की संकुल संघ नीति के अनुरूप है, क्योंकि वर्तमान में संकुल संघ के स्तर पर प्रशिक्षण समन्वयक/मुख्य कार्यपालक का कोई पद मौजूद नहीं है। प्रारंभ में फेडरेशन दो क्लस्टर फैसिलिटेटर के साथ कार्य करेगा और आवश्यकता के आधार पर एवं ग्राम संगठन की संख्या बढ़ने पर, एक अतिरिक्त क्लस्टर फैसिलिटेटर की बहाली की जा सकती है। सभी पदों की बहाली में महिला प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Scanned with CamScanner

- परियोजना गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए फेडरेशन और BPIU के बीच पंचायत का विभाजन प्राथमिकता के आधार पर 30 अक्टूबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। फेडरेशन का कार्य क्षेत्र BPIU द्वारा आवंटित पंचायत होंगे और शेष क्षेत्र में BPIU द्वारा नए संकुल संघ का निर्माण, आवश्यकतानुसार किया जा सकता है ।

5. **फेडरेशन (निदेशक मंडल) के अकार्यशील होने की दिशा में अग्रसर माना जाएगा यदि:**

- **निदेशक मंडल** की बैठक 6-महीने से अधिक समय तक आयोजित नहीं की गई है या बैठक का कोरम पूरा नहीं हुआ हो।
- फेडरेशन ने पिछले 2 वर्षों से वैधानिक मानदंडों -जैसे सांविधिक लेखा-परीक्षा (Annual Statuary Audit), आम सभा, रिटर्न फाइलिंग आदि को पूरा नहीं किया है और पिछले 2 वर्षों से सहकारिता विभाग को अपेक्षित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया है।
- **निदेशक मंडल** का कार्यकाल समाप्त हो गया है और **निदेशक मंडल** सदस्यों का चुनाव, कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद नहीं हो पाया है ।
- फेडरेशन के पदधारी (OB सदस्य), संघ और परियोजना के निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यों को निष्पादित नहीं करते हैं।

  ऐसी परिस्थिति में **निदेशक मंडल** नए पदाधिकारियों का चयन करेगा और अगले वार्षिक आम सभा की मंजूरी लेगा। फेडरेशन के पदाधिकारियों के बदलाव के 7 दिनों के अन्दर, बदलाव सम्बन्धी सूचना सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक (Assistant Registrar)/DCO (जिला सहकारिता पदाधिकारी) को लिखित जानकारी देना अनिवार्य है।
- फेडरेशन 6 महीने से अधिक समय से समूहों को कोई सेवा जैसे- प्रशिक्षण, ICF राशि प्रदान करना, RF राशि प्रदान करना, बचतखाता खोलना, बैंक लिंकेज, ICF राशि का घुमाव आदि प्रदान नहीं कर रहा हो ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, BPIU फेडरेशन से एक स्थिति/प्रगति प्रतिवेदन की मांग करेगी। इसके पश्चात् 3 महीनों में भी **यदि फेडरेशन (निदेशक मंडल) क्रियाशील नहीं होता है, तो इसे निष्क्रिय फेडरेशन माना जाएगा ।** इस बीच, BPIU/DPCU टीम संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और बिहार राज्य स्वावलंबी सहकारिता समिति अधिनियम, 1996 के अनुसार निर्धारित अनुपालन की स्थिति का सत्यापन करेंगे। यदि फेडरेशन पंजीकृत नहीं है, तो फेडरेशन के कार्य क्षेत्र के सभी समूहों एवं ग्राम संगठनों को सम्मिलित कर नए संकुल संघ का निर्माण किया जाएगा ।

Scanned with CamScanner

6. **फेडरेशन स्टाफ को अक्रियाशील** (NonFunctional) **माना जाएगा, यदि**:

- FDE या कोई भी कैडर, फेडरेशन जीविका के नियमों एवं मानदंडों का पालन नहीं करता है या उसका कार्य संपादन निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुरूप संतोषजनक नहीं है।
- FDE या कैडर द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता की गई है या वे किसी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं।
- FDE या कैडर, फेडरेशन को सूचना दिए बिना एक सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित हैं। ऐसी परिस्थिति में फेडरेशन BPIU को सूचित करते हुए FDE या संबंधित कैडर को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। यदि फेडरेशन एवं BPIU, FDE या कैडर के उत्तर से संतुष्ट हैं, तो वह कार्य जारी रख सकता है अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

यदि BPIU, FDE या किसी भी कैडर के कार्य प्रदर्शन, व्यवहार या अनुशासन से संतुष्ट नहीं है, तो BPM द्वारा फेडरेशन को सूचना दी जाएगी । यदि फेडरेशन 3 महीने के अन्दर FDE या संबंधित कैडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो जीविका FDE/कैडर की नई बहाली तक सम्बंधित FDE/कैडर को मानदेय और भत्ता नहीं देगा।

7. **अकार्यशील फेडरेशन के समूहों और ग्राम संगठनों का जीविका में समावेशन**:

NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार जीविका ने प्रारंभ में 62 फेडरेशन और सदस्य समूहों का पोषण शुरू किया। सभी फेडरेशनों को जीविका द्वारा प्रशासनिक, CIF, प्रशिक्षण और क्षमता-बर्धन, आजीविका गतिविधियों से सम्बन्धी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। फेडरेशन के अक्रियाशील हो जाने की स्थिति में, BPIU द्वारा समूहों एवं ग्राम संगठनों का निरंतर पोषण किया जाएगा तथा क्षेत्र में सभी ग्राम संगठनों को मिलकर नए संकुल संघ का गठन किया जाएगा I इसके अलावा, अगर समूह ग्राम संगठन से आच्छादित नहीं हैं, तो उन्हें मौजूदा ग्राम संगठन से जोड़ा जाएगा या नए ग्राम संगठन का निर्माण कर उन्हें जोड़ा जाएगा। ऐसा BPM की देखरेख में जीविका के मानकों के अनुरूप किया जाएगा I

अक्रियाशील फेडरेशन के मामले में जिला परियोजना प्रबंधक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला स्तरीय कमिटी की सिफ़ारिश के साथ आत्म-भारित (स्पष्ट) प्रतिवेदन राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।

8. **फेडरेशन की समीक्षा और भुगतान**

जिला स्तरीय समिति में जिला परियोजना प्रबंधक प्रति माह निर्धारित सूचकों के अनुसार फेडरेशन के कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। यदि फेडरेशन का प्रदर्शन संतोषजनक है, तो DPCU मानदंड के अनुसार समय पर फेडरेशन को प्रशासनिक खर्च एवं कैडर का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

FDE और फेडरेशन अध्यक्ष/कार्यालय पदधारी सदस्य BPIU के साथ स्वस्थ समन्वय के साथ कार्य करेंगे और FDE द्वारा BPIU में मासिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी।

Scanned with CamScanner

FDE की मुख्य जिम्मेदारी पंचायत संतृप्तीकरण, समय पर समूहों का ग्राम संगठन में और ग्राम संगठन का फेडरेशन में जुड़ाव, समूहों और ग्राम संगठनों का बैंक खाता खुलवाना, समूह बैंक लिंकेज, ICF रोटेशन, ऋण वापसी और बैंक ऋण मामले में NPA ट्रैकिंग, CBOs (समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) ग्रेडिंग सुनिश्चित करना, समय पर वैधानिक अंकेक्षण, वार्षिक आम सभा का संचालन, विशेष आम सभा का संचालन, आजीविका और सामाजिक उत्थान पहल और BPIU द्वारा दिए गए अन्य कार्य होंगे । फेडरेशन और BPIU संयुक्त रूप से तदनुसार FDE के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे।

फेडरेशन विषयक प्रतिवेदित किसी मुद्दे पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक, मैनेजर-IBCB एवं जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लिया जाएगा । स्थिति की गहनता के आधार पर ऐसे मुद्दे के विषय में प्राथमिकता के आधार पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को भी उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाएगा ।

23/09/2021

(बालामुरुगन डी.)

(मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं राज्य मिशन निदेशक)

प्रतिलिपिः

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी/अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक / राज्य वित्त प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ वित्त प्रबंधक/विषयगत प्रबंधक/प्रबंधक क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखंड परियोजना प्रवन्धक/एल. एच. एस.
4. सभी फेडरेशन
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. संबंधित संचिका

Scanned with CamScanner